फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 43/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/47)
श्रीमती लक्ष्मी कुमारी व अन्य बनाम श्रीमती घीसी बाई व अन्य</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>03.01.2025</td><td>
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील अपीलार्थी
2. श्री संजय सेन (बहस उपरान्त उपस्थित) - वकील प्रत्यर्थी

अनवान
1. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी पत्नि स्व. श्री चतरसिंह राजपूत, निवासी रावडदा, हाल बाड़मेर।
2. श्रीमती कीर्ति निधि उर्फ रितु चुण्डावत, पिता स्व. श्री चतरसिंह राजपूत पत्नि श्री परिक्षित सिंह राठौड़, निवासी बाड़मेर।
अपीलार्थी
बनाम
1. श्रीमती घीसी बाई पत्नि श्री देवीलाल नाई, निवासी रावडदा, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती लाडबाई पत्नि श्री बंशीलाल नाई, निवासी रावडदा, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।
प्रत्यर्थी
अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 55/2023 निर्णय दिनांक 30.06.2023 सपठित निर्णय तहसीलदार बेगूं प्रकरण संख्या 05/2013 निर्णय दिनांक 23.09.2014

<u>निर्णय</u>
दिनांक 03.01.2025
उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 55/2023 निर्णय दिनांक 30.06.2023 सपठित निर्णय तहसीलदार बेगूं प्रकरण संख्या 05/2013 निर्णय दिनांक 23.09.2014 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।
प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-
• वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा मौजा रावडदा पटवार हल्का रावडदा की आराजीयात 677 से 680, 691 से 693, 707 से 710 किता 11 कुल रकबा 4.442 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/3 भूमि श्री चतरसिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.07.2003 को क्रय की गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 21.09.2003 को स्वीकृत हुआ।
• उक्त नामान्तरकरण संख्या 601 के विरूद्ध वर्तमान अपील के पूर्वाधिकारी श्री चतरसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं समक्ष एक अपील पेश की जिसके नम्बर 05/2004 होकर दिनांक 20.06.2006 को निर्णय पारित गया और नामान्तरकरण संख्या 601 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण संख्या 601 को विवादास्पद होने से तहसीलदार, बेगूं को उनके निर्णय में किये आर्ब्जवेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय करने हेतु भिजवाया गया।
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/47) **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी व अन्य बनाम श्रीमती घीसी बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	• तहसीलदार, बेगूं द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के निर्णय दिनांक 26.06.2006 पर प्रकरण संख्या 05/2013 दर्ज किया और निर्णय दिनांक 23.09.2014 से वादग्रस्त आराजीयात का पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.07.2003 के आधार पर अपीलार्थी के बजाय प्रत्यर्थीगण के नाम नामान्तरकरण का आदेश दिया। • तहसीलदार बेगूं के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश की गई, जिसके प्रकरण संख्या 55/2023 हुए। न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त अपील क्षेत्राधिकारविहिन होने से ग्राहयता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 30.06.2023 को पारित किया गया। तहसीलदार, बेगूं के निर्णय दिनांक 23.09.2014 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 30.06.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद अपील पेश की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 19.12.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। बहस उपरान्त अधिवक्ता प्रत्यर्थी उपस्थित होकर दिनांक 02.01.2025 तक लिखित बहस पेश करने का अवसर चाहा गया। अवसर दिया गया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा लिखित बहस दिनांक 02.01.2025 को पेश। **अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के अंकित कथनों को दोहराते हुए लिखित एवं मौखिक बहस प्रस्तुत किया कि** ग्राम रावडदा तहसील बेगूं की आराजी संख्या 677 से 680, 691 से 693, 707 से 710 स्व. श्री चतरसिंह, फतहसिंह पिता पृथ्वीसिंह, श्री राजेन्द्रसिंह, प्रभाकरसिंह पिता श्री भोपालसिंह राजपूत के संयुक्त खातेदारी में अन्य कृषि आराजीयात के साथ दर्ज है जो खाता संख्या 129 में कुल किता 37 रकबा 18.983 हैक्टेयर दर्ज है। जिसमें उक्त उल्लेखित कृषि भूमि में 1/3 हक का कथित प्रतिफल रहित एवं कब्जे रहित विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी ने नामान्तरकरण संख्या 601 ग्राम पंचायत न बिना कोरम व बिना पंचायत के निर्णय से स्वीकृत करा लिया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी समक्ष पेश की गई, जिसे स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 601 को निरस्त किया गया और निर्णय में ऑब्र्जवेशन के आधार पर निर्णित करने के निर्देश दिये, जिसमें कथित विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2003 एवं इसी दिनांक 23.07.2003 को निष्पादित वचन पत्र ग्राम पंचायत को कोरम नहीं होने, चौसाला जमाबंदी संख्या 2060-2063 में किसका कितना कितना हक तथा सहखातेदारों में कितना-कितना हक, इसके लिए पूर्व वर्षों के आधार अभिलेख के आधार पर विनिश्चय किया जाना आदी ऑबर्जवेशन सम्मिलित है। तहसीलदार को उक्त विनिश्चय के आधार पर सभी को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय किया जाना था, परन्तु तहसीलदार द्वारा एकपक्षीय निर्णय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी गैर मौजुदगी में दिया। भीलवाड़ा के दैनिक अखबार में प्रकाशन कराया गया जबकि अपीलार्थीगण बाडमेंर में निवासरत है, जिसकी जानकारी तहसीलदार को भलीभांति थी। फिर भी एक अविधिक निर्णय दिनांक 23.09.2014 पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 997 दिनांक 30.09.2014 स्वीकृत कर लिया गया जो इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/47) **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी व अन्य बनाम श्रीमती घीसी बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील में भी निर्णय का बिन्दु है। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है, पंजीकृत तामिल लेने से इन्कार किया गया, जबकि अपीलार्थीगण वर्ष 2007 से ही बाड़मेर में निवासरत है, ऐसे में यह प्रकट होता है कि तामिल बाड़मेर के पते पर भेजी ही नहीं गई। विक्रेता का 1/3 हिस्सा कहकर जो विक्रय किया गया है, वह इन्तकाल संख्या 304 सर्वथा अनुचित एवं अवैध है। उक्त आराजीयात पैतृक थी तथा उसमें अपीलार्थी संख्या 2 का हक व हिस्सा था, इसमें विधिक तरिके से कोई जांच कर आदेश पारित नहीं किया गया है। कथित विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के होकर प्रभावहीन एवं शुन्य है, इसमें कब्जा भी सिपुर्द नहीं किया गया, इन तथ्यों पर तहसीलदार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अपीलाधीन आदेश एवं नामान्तरकरण काबिल निरस्त के है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 30.06.2023 एवं तहसीलदार बेगूं का आदेश दिनांक 23.09.2014 एवं उसके परिणामस्वरूप किये गये नामान्तरकरण संख्या 997 को निरस्त फरमाया जाकर मामला तहसीलदार बेगूं के पास रिमाण्ड किया जाकर दोनों पक्षों को नियमानुसार सुनवाई का नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु लिखे जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये- 1. 2004(1) आरआरटी 2 2. 2017(2) आरआरटी 918 3. 2018(1) आरआरटी 498 **प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी के पिता/पति द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2003 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 21.09.2003 को स्वीकृत किया गया। उसके उपरान्त केवल प्रत्यर्थी को परेशान करने हेतु उपखण्ड अधिकारी समक्ष अपील पेश की। इसके अतिरिक्त एक वाद भी अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 2 चित्तौड़गढ़ में रूपया वसूली के प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में आपसी समझौता भी दिनांक 27.12.2006 को निष्पादित कर दिया गया, उक्त समझौते के अनुसार श्री चतरसिंह द्वारा डीडी से रकम भी प्राप्त कर ली। उक्त समझौते अनुसार सभी वाद वापस लेने की बात कही गई थी, विक्रय पत्र संबंधी कोई लेनदेन/विवाद नहीं होने पर अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत वाद भी दिनांक 27.05.2006 को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार समक्ष चतरसिंह के वारिसान को उपस्थित होना था, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए, जिस पर बाबत अपीलार्थी जो भीलवाड़ा में निवासरत होना अपनी अपील में बताया है, इस कारण भीलवाड़ा के समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया, फिर भी अपीलार्थी के पेश नहीं होने के कारण तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 23.09.2014 पारित कर रेस्पोडेंट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, इस हेतु विधिक प्रक्रियानुसार समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया, इसके उपरान्त भी तहसीलदार समक्ष उपस्थित नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा एक तथ्यात्मक एवं विधिक निर्णय पारित किया गया। विक्रय पत्र में कब्जा सिपुर्द करने का अंकन स्पष्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/47) **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी व अन्य बनाम श्रीमती घीसी बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रूप से किया गया है। यदि प्रतिफल के संबंध में कोई अनुतोष रहा भी है तो अपीलार्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करना चाहिए। नामान्तरकरण जैसी समरी प्रोसेडिंग में किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थीगण द्वारा मौजा रावडदा पटवार हल्का रावडदा की आराजीयात 677 से 680, 691 से 693, 707 से 710 किता 11 कुल रकबा 4.442 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/3 भूमि श्री चतरसिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.07.2003 को क्रय की गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 21.09.2003 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण संख्या 601 के विरूद्ध वर्तमान अपील के पूर्वाधिकारी श्री चतरसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं समक्ष एक अपील पेश की जिसके नम्बर 05/2004 होकर दिनांक 20.06.2006 को निर्णय पारित गया और नामान्तरकरण संख्या 601 को निरस्त करते हुए नामान्तरकरण संख्या 601 को विवादास्पद होने से तहसीलदार, बेगूं को उनके निर्णय में किये आर्ब्जवेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय करने हेतु भिजवाया गया। तहसीलदार, बेगूं द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के निर्णय दिनांक 26.06.2006 पर प्रकरण संख्या 05/2013 दर्ज किया और निर्णय दिनांक 23.09.2014 से वादग्रस्त आराजीयात का पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.07.2003 के आधार पर अपीलार्थी के बजाय प्रत्यर्थीगण के नाम नामान्तरकरण का आदेश दिया। तहसीलदार बेगूं के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के पेश की गई, जिसके प्रकरण संख्या 55/2023 हुए। न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त अपील क्षेत्राधिकारविहिन होने से ग्राहयता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 30.06.2023 को पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त निर्णय एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णयों एवं नामान्तरकरण से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का मुख्य उज्र उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा पारित निर्णय में अंकित विनिश्चय की पालना नहीं की गई और अपीलार्थीगण पर प्रोपर तामिल नहीं करा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया जो चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में हम उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2006 में किये विनिश्चय का अंकन किया जाना उचित समझते है- ''पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया गया। दिनांक 23.07.2003 के वचन पत्र के संबंध में अपीलार्थी समक्ष सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। विक्रय पत्र दिनांक 23.07.2003 का ही पंजीबद्ध हुआ है तथा वचन पत्र भी दिनांक 23.07.2003 को तहरीर हुआ है तो प्रतिफल के सम्पूर्ण रूपये संदाय पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। परन्तु इस बिन्दु पर इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/47) **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी व अन्य बनाम श्रीमती घीसी बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय स्तर से विचार किया जाना सम्भव नहीं है। हम रेस्पोडेंटस् के इस तर्क से भी सहमत है कि दिनांक 21.09.2003 को ग्राम पंचायत की बैठक हुई है या नहीं तथा कोरम पूर्ण था या नहीं की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य से किये जाने का भार अपीलार्थी पर था परन्तु रेस्पोडेंटस् द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह निर्विवाद रूप से यह सिद्ध होता हो कि दिनांक 21.09.2003 को ग्राम पंचायत की बैठक हुई तथा कोरम पूर्ण था। नामा.स. 601 ग्राम रावडदा पर सरपंज द्वारा अंकित टिप्पणी 'स्वीकार' से भी प्रथम दृष्टया यह सिद्ध नहीं होता है कि विधायी/न्यायिक कार्य सही दशा में सम्पन्न हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में भी ग्राम पंचायत को शक्तियां दी गई है, न कि सरपंच को। सरपंच के द्वारा अपने निर्णय में कोरम के निर्णय या प्रस्ताव संख्या का कही भी हवाला नहीं देने से यह माने जाने का कोई आधार नहीं है कि विवादास्पद नामा. ग्राम पंचायत में फैसल करने का कोरम ने निर्णय लिया गया था। चौसाला जमाबंदी संख्या 2060-63 के कॉलम नं. 4 में अंकित इबारत से सहखातेदारों में कितना कितना हिस्सा है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः पूर्व वर्षों के आधार अभिलेख के आधार पर ही हिस्से को विनिश्चय हो सकता है। अतः उक्त विवेचन के मद्देनजर नामान्तरकरण संख्या 601 ग्राम रावडदा विवादास्पद होने से तहसीलदार, बेगूं को उक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय के लिए भिजवाया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 601 का निर्णय दिनांक 21.09.2003 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।" हम यहा सर्वप्रथम यह विनिश्चय किया जाना उचित समझते है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विवादित है या अविवादित है। उपखण्ड अधिकारी के उक्त विनिश्चय से यह प्रमाणित है कि नामान्तरकरण विवादित है, जिसकी सुनवाई का अधिकार तहसीलदार में निहित है और तहसीलदार के विवादित नामान्तरकरण की कार्यवाही में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील को क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त/अति. संभागीय आयुक्त में होना प्रावधित है। ऐसे में अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में किया गया विनिश्चय समर्थन योग्य है। यह न्यायालय अब तहसीलदार, बेगूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2014 एवं उसके अनुसरण में पारित नामान्तरकरण पर अपना विनिश्चय किया जाना उचित समझता है। इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा अपने निर्णय में किये गये ऑबजरवेशन एवं तहसीलदार, बेगूं द्वारा उसकी पालना किये जाने का अध्ययन करने पर पाया गया कि तहसीलदार बेगूं द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के ऑबजरवेशन पर पूर्णतया गौर नहीं किया गया है। उक्त ऑबरवेशन में विक्रय पत्र एवं वचन पत्र दोनों का एक ही दिन निष्पादित किये जाने पर संशय व्यक्त किया गया था। यह मान भी ले कि इस पत्रों पर विनिश्चय किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है परन्तु इस पत्रों की प्राथमिक जांच किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया। यदि विक्रय पत्र में रकम अदायगी का हवाला दिया गया है तो वचन पत्र क्यों निष्पादित किया गया है, यह जांच का विषय था, जो नहीं की गई। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, बेगूं के समक्ष लम्बित कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत थी, जिसमें दोनों पक्षकारों का सूना जाना आवश्यक है। दौराने बहस, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा तामिल के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 43/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/47) **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी व अन्य बनाम श्रीमती घीसी बाई व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संबंध में अपने उज्रात प्रस्तुत किये है, जो निर्णय में अंकित तथ्यों से प्रमाणित होना प्रकट होते है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा तामिल के संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होते है। ऐसे में यह पाया जाता है कि तहसीलदार बेगूं द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा निर्णय दिनांक 20.06.2006 में अंकित ऑबजरवेशन एवं धारा-135(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, ऐसे में तहसीलदार, बेगूं का निर्णय दिनांक 23.09.2014 समर्थन योग्य नहीं होकर निरस्तनीय है। ऐसे त्रुटिपूर्ण निर्णय की अनुपालना में पारित नामान्तरकरण स्वतः निष्प्रभावी है। त्रुटिपूर्ण आदेशों पर मयाद का बिन्दु भी लागु नही होने के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने मत प्रतिपादित किये है। यह न्यायालय उचित पाता है कि प्रकरण तहसीलदार, बेगूं को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावें कि वह सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा निर्णय दिनांक 20.06.2006 में अंकित ऑबजरवेशन के आधार पर नियमानुसार नये सिरे से 2 माह में सुस्पष्ट व सकारण निर्णय पारित करें। परिणामतः **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेगूं का निर्णय दिनांक 23.09.2014 एवं उसके अनुसरण में पारित नामान्तरकरण अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, बेगूं को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा निर्णय दिनांक 20.06.2006 में अंकित ऑबजरवेशन के आधार पर नियमानुसार नये सिरे से 2 माह में सुस्पष्ट एवं सकारण निर्णय पारित करें। सभी पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दिनांक 05.02.2025 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	